(23)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण कमांक एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/1742 विरुद्ध आदेश दिनांक 18.04.2017 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील त्योंदा प्रकरण कमांक 942/अ–65/16–17

मदीना मस्जिद कमेटी स्टेशन रोड गंहजबासौदा
द्वारा इमाम हाफिज जाहिद खां पुत्र मीर खां
निवासी– एकता चौक वार्ड नं. 13, स्टेशन रोड
गंजबासौदा जिला विदिशा (म.प्र.) ....**आवेदक**

विरुद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन
2. नूर मोहम्मद उर्फ भूरा मियां स्व. श्री गौस मोहम्मद खान
   निवासी गांधी चौक गंजबासौदा जिला विदिशा
3. आशिफ मोहम्मद पुत्र स्व. श्री गोस मोहम्मद खान
   निवासी– मकान नं. 3, मोती क्वार्टर एम. 74 के सामने
   56 क्वार्टर के पास, टीला जमालपुर भोपाल (म.प्र.) ....**अनावेदकगण**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री पी.के. तिवारी
अनावेदक क. 1 शासन की ओर से अधिवक्ता श्री डी.के. पालीवाल,
अनावेदक क. 2 की ओर से अधिवक्ता श्री अरशद अली एवं
अनावेदक क. 3 की ओर से अधिवक्ता श्री डी.एस. चौहान

आदेश

(आज दिनांक 03/1/18 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार, तहसील त्योंदा द्वारा प्रकरण कमांक 942/अ–65/16–17 में पारित आदेश दिनांक 18.4.17 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व

संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम सरूपनगर स्टेशन रोड, बासौदा स्थित भूमि सर्वे नं. 42 रकबा 0.6742 हैक्टर के संबंध में पटवारी द्वारा दिनांक 21–8–12 को इस आशय की रिर्पोट पेश की गई कि उक्त भूमि में से 450 वर्गमीटर पर अनावेदक नूर मोहम्मद द्वारा अतिक्रमण कर दुकानों का निर्माण कर लिया गया है । पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही कर तहसीलदार ने अनावेदक नूर मोहम्मद को अतिकामक मानते हुए अर्थदण्ड आरोपित कर बेदखल किए जाने के आदेश दिए इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक नूर मोहम्मद एवं आशिफ मोहम्मद द्वारा एस.डी.ओ. के समक्ष पृथक–2 अपीलें पेश की गई जो उन्होंने निरस्त कीं । इन आदेशों के विरूद्ध अनावेदक कमांक 2 एवं 3 द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष अपील की गई जो अपर आयुक्त ने स्वीकार कीं । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध आवेदक मदीना मस्जिद द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निगरानी कमांक 652 एवं 653–दो / 16 पेश की गईं जिनमें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 4–1–16 को आदेश पारित करते हुए तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये एवं प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई का एवं अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर देते हुए तथा संहिता की धारा 248 में दिए गए प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में विधिनुसार आदेश पारित करें ।

राजस्व मंडल से प्रकरण वापिस प्राप्त होने पर तहसीलदार द्वारा कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान अनावेदक नूर मोहम्मद द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के यहां एक आवेदन प्रकरण तहसीलदार, बासौदा के न्यायालय से अन्य न्यायालय में भेजने हेतु आवेदन दिया गया । अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 30.3.17 द्वारा प्रकरण तहसीलदार, बासौदा के न्यायालय से तहसीलदार त्योंदा के न्यायालय में अंतरित किया गया । प्रकरण तहसीलदार, त्योंदा के यहां प्राप्त होने पर अनावेदक नूर मोहम्मद द्वारा एक आवेदन 151, 152 सीपीसी एवं धारा 32 भू.रा.सं. के अंतर्गत पेश कर प्रकरण निरस्त करने का अनुरोध किया । तहसीलदार ने उक्त आवेदन

आलोच्य आदेश दिनांक 18–4–17 द्वारा बिना अन्य पक्षकारों को सुने हुए स्वीकार किया एवं तहसीलदार, बासौदा द्वारा दिनांक 10–9–12 के द्वारा विवादित भूमि को मुस्लिम समाज को नवाज पढ़ने हेतु अस्थाई रूप से दी गई भूमि वापिस ली जाकर राजस्व निरीक्षक को मौके पर जाकर कब्जा प्राप्त करने के निर्देश दिए । इस आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी पेश की गई है ।

3 आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि इस न्यायालय के आदेश के उपरांत अनावेदक कमांक 3 द्वारा आशिफ मोहम्मद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका कमिांक 2038/2016 प्रस्तुत की गई जो निरस्त की जा चुकी है इस प्रकार राजस्व मंडल का आदेश अंतिम हो चुका है । यह कहा गया कि तहसीलदार द्वारा राजस्व मंडल के आदेश का पालन न करते हुए अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर एकपक्षीय रूप से कार्यवाही करते हुए भूमि को वापिस लेने एवं कब्जा प्राप्त करने के जो निर्देश दिए हैं वे अवैधानिक हैं ।

यह तर्क दिया गया कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 2 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिका में दिनांक 17–6–16 को यथास्थिति का आदेश दिया गया था, माननीय उच्च न्यायालय से यथास्थिति का आदेश होने के उपरांत भी तहसीलदार ने भूमि वापिसी का जो आदेश दिया है वह अवैधानिक होकर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना है । आवेदक ने माननीय उच्च न्यायालय में भी इस बिंदु को उठाया था जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने तहसीयलदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया । राजस्व मंडल के आदेश का पालन किये बिना तथा कार्यवाही किए बिना अनावेदक का आवेदन स्वीकार करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है । यह भी कहा गया कि अनावेदक को कोई लोकस–स्टेण्डाई नहीं है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि विवादित भूमि शासकीय है दोनों पक्ष हार चुके हैं । राजस्व मंडल के आदेश की पुष्टि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा की जा चुकी है । तहसीलदार को राजस्व मंडल के आदेश का पालन करते हुए कार्यवाही करना चाहिए ।

5/ अनावेदक क्रमांक 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि तहसीलदार ने सभी पक्षों को सूचनापत्र जारी किया है । आवेदक उपस्थित भी हुए हैं । आवेदक को निगरानी करने का कोई अधिकार नहीं है । तहसीलदार द्वारा विधिवत कार्यवाही की जा रही है अतः निगरानी निरस्त की जाये ।

6/ अनावेदक क्रमांक 3 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनावेदक क्रं. 2 के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का समर्थन करते हुए निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

7/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व मंडल द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 652 एवं 653–दो/156 में पारित आदेश दिनांक 4–1–16 के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 3 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक 2038/2016 प्रस्तुत की गई थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17–6–16 को यथास्थिति का आदेश पारित किया गया । उक्त याचिका माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 8–12–17 को निरस्त की जा चुकी है । इस प्रकार राजस्व मंडल द्वारा पारित आदेश की पुष्टि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा की जा चुकी है ऐसी स्थिति में तहसीलदार का यह विधिक दायित्व है कि वह राजस्व मंडल के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही करते हुए प्रकरण का निराकरण करें । तहसीलदार के आलोच्य आदेश से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा अनावेदक नूर मोहम्मद द्वारा सी.पी.सी. की धारा 151, 152 एवं धारा 32 संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार कर जो आलोच्य आदेश पारित किया है वह बिना अन्य पक्षकारों को सुने तथा माननीय उच्च न्यायालय से राजस्व मंडल द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत याचिका में यथास्थिति का आदेश होने के उपरांत पारित किया गया है जो, किसी भी दृष्टि में न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं ठहराया जा सकता । अतः आलोच्य आदेश निरस्त करते हुए तहसीलदार को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि राजस्व मंडल द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 652 एवं 653–दो/156 में पारित आदेश दिनांक 4–1–16 के अनुसार विधिवत कार्यवाही करते हुए प्रकरण का निराकरण करें । यह भी

निर्देश दिए जाते हैं कि किसी भी पक्षकार द्वाराा यदि कोई आवेदन उनके समक्ष पेश किया जाता है तो उस आवेदन का निराकरण भी दूसरे पक्ष को सुनकर विधिवत करें ।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर